

	नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (भारत सरकारका उपक्रमलघु रत्न कंपनी) “An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company” केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) फोन: 01509-223873 ई-मेल %ago.csfsuratgarh@gmail.com	NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED (A Government of India Undertaking Miniratna Company) “An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company” CENTRAL STATE FARM, SURATGARH Distt:- SriGanganagar	
---	--	---	---

सी.एस.एफ./सूरत./2-आउटसोर्स/कृषि/2026-27/

दिनांक: 11.05.2026

ई-निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि **केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़** जिला श्री गंगानगर (राज.) में फार्म के 3 खण्डों के 12 चकों की कुल कृषि योग्य **2610.90** हैक्टर जमीन **2+1 वर्ष के फसल सत्र (खरीफ 2026, रबी 2026-27 एवं जायद 2027 के सीजन व खरीफ 2027 रबी 2027-28 एवं जायद 2028)** के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से फसलों के उत्पादन में हिस्से के आधार पर भुगतान हेतु ऑनलाइन निविदायें दिनांक 25.05.2026 को दोपहर 1.00 बजे तक आमंत्रित की जा रही हैं जो उसी दिन शाम को 3.00 बजे खोली जायेंगी। निविदा से संबंधित जानकारी हेतु प्री-बीड मीटिंग दिनांक 18.05.2026 को केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ के सभागार में सूबह 11.00 बजे आयोजित की जायेगी। निविदा भरने के दौरान ऑनलाइन माध्यम से रुपये 2000/- निविदा शुल्क व रुपये 1000/- मात्र प्रति हैक्टर (रुपये एक हजार मात्र) के हिसाब से धरोहर राशि ई-निविदा पोर्टल पर जमा करवाना होगा। निविदा की विस्तृत जानकारी, नियम व शर्त निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com से डाउनलोड की जा सकती है। निविदा हेतु हमारे ई-पोर्टल [://indiaseeds.enivida.com](http://indiaseeds.enivida.com) पर निविदादाता का पंजीकृत होना अनिवार्य है। यदि निविदा से सम्बंधित कोई शुद्धि पत्र जारी किया जाता है तो वह निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com पर ही जारी किया जायेगा।

फार्म प्रमुख

Instructions to Bidder Online

1. Bidders/Vendors/Suppliers/Contractors must get themselves registered on the portal for participating in the e-tenders published on <https://indiaseeds.enivida.com> by paying the charges of Rs. 2360/- (Inclusive taxes) per year.
2. Bidders must provide the details of PAN Number; registration details etc as applicable and submit the related documents. The user id will be activated only after submission of complete details. The activation process will take minimum 24 working hour's enividahelpdesk@gmail.com
3. Bidders must have a valid email id and mobile number.
4. Bidders are required to obtain Class 3 Digital Certificates (Signing & Encryption) as per their company details.
5. Once bidder DSC is mapped with the user id, the same DSC must not be used for another user id on the same portal. However bidder can update the digital certificate to another user id after unmapping it from the exiting user id.
6. Bidders now can login with the activated user Id & DSC for online tender submission process in this portal.
7. Bidders can upload required documents for the tender well in advance under My Documents and these documents can be attached to the tender during tender participation as per the tender requirements. This will save the bid submission duration/time period and reduce upload time of bid documents.
8. Bidders must go through the downloaded tender documents and prepare and upload bid documents as per the requirements of the department.
9. Once the bidders have selected the tenders they are interested in, Bidders will pay the processing fee Rs 550/- per tender (NOT REFUNDABLE) by net-banking / Debit / Credit card then Bidder may download the Bid documents etc. Once Bidders will pay both fee tenders status will be shown "form received". This would enable the e- tender Portal to intimate the bidders through e-mail in case there is any corrigendum issued to the tenderdocument.
10. idders are advised to read complete BoQ/SoQ/Price Bid/Financial Bid and Terms & Conditions before quoting rates in the bid document.
11. Any modification/replacement in BoQ/ SoQ /Price Bid/Financial bid template is not allowed. Bidders must quote only in predefined fields in the bid sheet and save the bid sheet. After saving, the same bid sheet must be uploaded in the portal.

12. Bidders must pay required payments (Tender fee, EMD, Tender Processing Fee etc) as mentioned in the tender document, before submitting the bid.
13. Bidders are recommended to use PDF files for uploading the documents. Only price bid sheet will be in Excel format.
14. The bidders must ensure to get themselves registered on the portal at least 1 week before the tender submission date and get trained on the online tender submission process. For tender submission and registration process bidders are advised to refer respective manuals on website. Tender inviting Authority/Department will not be held responsible for any sort of delay or the difficulties faced during the submission of bids online by the bidders due to local issues like internet connectivity/PC speed/etc..
15. Offline Submission of bids/documents/rates by the bidders will not be accepted by the department, under any circumstance.
16. After final submission of the bid, a confirmation message and bid submission acknowledgement will be generated by the portal. The bid submission acknowledgement contains details of all documents submitted along with bid summary, token number, date & time of submission of the bid and other relevant details. Bidder can keep print of the bid submission acknowledgement.
17. If bidder is resubmitting the bid, bidder must confirm existence of all the required documents, financial bid and again submit the bid. Once submitted, the bid will be updated.
18. Submission of the bid means that the bid is saved online; but system does not confirm correctness of the bid. Correctness of the bid will be decided by tender inviting authority only.
19. The time displayed in the server is IST(GMT 5:30) and same will be considered for all the tendering activities. Bidders must consider the server time for submission of bids.
20. Bid documents being entered by the Bidders/Vendors/Contractors will be encrypted at the client end and the software uses PKI encryption techniques to ensure security/secrecy of the data. The submitted bid documents/data become readable only after tender opening by the authorized individual.

Thank You

Technical Support - Phone: 9355030617, 8448288980

Tel: 011-49606060

Email ID - enividahelpdesk@gmail.com, enivida2021@gmail.com

निविदा की तकनीकी आवश्यकता / Technical Requirement of Tender

PARTICULARS/ब्यौरा	DETAILS /विवरण
Copy of Pan Card/पैन कार्ड की प्रति	
Copy of valid Id Proof i.e. Aadhar Card/Voter Id/Driving License etc. वैध आई डी प्रूफ यानी आधार कार्ड/वोटर आई डी/ड्राइविंग लाइसेंस आदि की कॉपी।	
Details of EMD Deposit and Tender Form Fee (Rs.)/ ईएमडी जमा राशि एवं निविदा प्रपत्र शुल्क का विवरण (रु.)	
Affidavit Regarding Nominee as pr Annexure-1 सलग्नक-1 में दर्शाये अनुसार नॉमिनी नियुक्ति बाबत शपथ पत्र	
Undertaking on Non-Judicial stamp paper regarding non-blacklisting of his firm/Individual (Annexure-2) उसकी फर्म/व्यक्ति को काली सूची में न डालने के संबंध में नॉन-जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर वचनबद्धता	
Detail of Machinery as per Annexure-3 सलग्नक-3 में दर्शाये अनुसार उपलब्ध संसाधनों का विवरण	
Terms & Conditions of Tender duly signed Note : Each page of Terms & Conditions should be signed by contractor/Tenderer विधिवत हस्ताक्षरित निविदा के नियम और शर्तें नोट: नियम एवं शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर ठेकेदार/निविदाकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए।	

जगह / Place: _____

हस्ताक्षर / Signature: _____

तारीख / Date: _____

नाम / Name: _____

पता / Address: _____

फोन / मोबाइल नंबर / Phone/Mobile No: _____

ई-मेल आई.डी / Email Id: _____



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरल कम्पनी)

(CIN : U74899DL1963GOI003913)

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़

जिला-श्रीगंगानगर (राज0)

दूरभाष : 01509.220084, 220006, 221420,

मुख्यालय -बीज भवन, पूसा परिसर,

नई दिल्ली-12

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking)

(CIN : U74899DL1963GOI003913)

Central State Farm, Suratgarh

Website: www.indiaseeds.com

PHONES : 01509-220084, 220006, 221420,

E-mail - csf.suratgarh@indiaseeds.com

H.O. : Beej Bhawan, Pusa complex, New Delhi -12



निविदा-प्रपत्र / Financial Bid

समस्त कृषि क्रियाओं व प्रयोग में लाये जाने वाले सभी आदानों की एवज में हिस्सा आधारित उत्पादन पद्धति के आधार पर खरीफ 2026-27, रबी 2026-27 व 2027-28 एवं जायद 2027 व 28 में केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर की कुल 2610.90 हैक्टर जमीन पर बीज उत्पादन के लिए निम्न विवरण अनुसार प्रस्तुत है -

क्र.स.	खण्ड संख्या	प्रस्तावित चक का नाम	प्रस्तावित कृषि योग्य क्षेत्र हैक्टर में	फसल उत्पाद का हिस्सा प्रतिशत	
				फार्म का हिस्सा	ठेकेदार का हिस्सा
1	2	3	4	5	6
1	I	35 STG	154.40		
2	I	37 STG	276.00		
3	I	39 STG	264.40		
4	I	41 STG	182.20		
5	I	BRP-1	*71.6		
6	I	BRP-3	202.80		
		Total	1151.40		
7	II	31 A PBN	203.20		
8	II	31 B PBN	256.80		
9	II	RPM-1	311.50		
		Total	771.50		
10	III	3 SGM	130.00		
11	III	4 SGM	242.00		
12	III	5 SGM	316.00		
		Total	688.00		
		G. Total	2610.90		

नोट-

- *चक बी.आर.पी. एक व 3 एस.जी.एम के प्रस्तावित क्षेत्र का मुख्बावार विवरण Annexure-4 में दिया गया है।
- उक्त सारणी के कॉलम संख्या 4 में दर्शाये गये कुल क्षेत्र के अलावा उस चक में स्थित गैर कृषि योग्य क्षेत्र (जैसे Layout, Forsetry, Waste Land etc.) में उपस्थित फार्म की चल-अचल संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेवारी निविदादाता की होगी।

मैंने निविदा की नियम व शर्तें अच्छी तरह पढ़ व समझ ली है। मैं फार्म द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों के अनुसार कार्य करने के लिए सहमत हूँ। इस आशय का शपथ पत्र 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य स्वीकृत होने पर प्रस्तुत कर दूंगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर.....

निविदादाता का नाम

शपथ पत्र बाबत नॉमिनी नियुक्ती

मनके -----हूँ तथा शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि—

यह कि मिकर ने केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ से चक -----हैक्ट0 भूमि वर्ष 2026–27 व 2027–28 के लिए निर्धारित शर्तों के साथ अनुबंध पर लेना चाहता हूँ।

1. यह कि मिकर ने अपने इस कार्य के लिए अपनेको अपना नॉमिनी नियुक्त किया है।
2. यह कि इस कार्य की अवधि के दौरान मिकर के साथ यदि कोई भी अप्रिय घटना/दुर्घटना घटित होती है तो मिकर की जगह समस्त जवाबदेही मेरे द्वारा नियुक्त नॉमिनीकी होगी तथा मेरा नॉमिनी ही केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ से समस्त लेन/देन कार्यवाही को पूर्ण कर सकेगा।
3. यह है कि शपथ पत्र की मद सख्या 1 से 3 में वर्णित सभी तथ्य सही व सच सच है इसमें कोई तथ्य छुपाया, घटाया व बढ़ाया नहीं है। ईश्वर मेरी मदद करे।

दिनांक :

सहमति हस्ताक्षर नॉमिनी

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

DECLARATION /घोषणा

मैं/हम.....मेसर्स..... के मालिक/भागीदार/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
एतद्वारा निम्नानुसार पुष्टि व घोषणा करता हूँ/करते हैं:

I/We Proprietor/Partner/Authorized signatory of M/S
..... do hereby solemnly confirm and declare as under:

1. मेरी उपरोक्त उल्लेखित फर्म/नाम को केंद्र/राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के किसी भी संगठन/विभाग/स्वायत्त निकाय/अनुसंधान संस्थान/निगम द्वारा उनकी निविदाओं/अनुबंधों में भाग लेने से रोक हेतु काली सूची में नहीं डाला गया है/असूचीबद्ध नहीं किया गया है या मुकदमा नहीं चलाया गया है।

My above mentioned firm/name has not been blacklisted/delisted/prosecuted by any organization/department/autonomous body/research institute/corporation of the Central/State or Union Territory for debarment from participating in their tenders/contracts.

2. मेरे विरुद्ध न्यायालय में कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।

There is no criminal case pending against me in the Court of law.

3. मैं/हम समझते हैं कि, यदि सेंट्रल स्टेट फार्म, सूरतगढ़ द्वारा मुझे/हमें दिए गए हिस्सा आधारित बीजोत्पादन निविदा के ठेके के किसी भी चरण में मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई अनुबंध से सम्बंधित कोई भी जानकारी/दस्तावेज फार्म द्वारा गलत पाए जाते हैं तो अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार फार्म मेरे /हमारे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है।

I/We understand that, if any information/documents relating to the contract submitted by me/us at any stage of the contract for **Seed Production on share basis** awarded to me/us by Central State Farm, Suratgarh are found to be incorrect, the farm can take disciplinary action against me/us as per the terms and conditions of the contract.

यह सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त घोषणा की सामग्री मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और सत्य है। इसमें मेरे द्वारा कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

It is verified that contents of above declaration are correct and true to the best of my knowledge and belief. Nothing has been concealed by me herein.

जगह/Place: _____

हस्ताक्षर/Signature: _____

तारीख/Date: _____

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम/
Name of Authorized Signatory: _____

पता/Address: _____

फ़ोन/मोबाइल नंबर/Phone/Mobile No: _____

उपलब्ध मशिनरी का विवरण

मैंपुत्री/पुत्र.....केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ में वर्ष 2026-27 व 2027-28 के दौरान हिस्सा आधारित पद्धति के तहत बीजोत्पादन हेतु आमंत्रित निविदा में यदि सफल रहता हूँ तो मेरे द्वारा लिये गये चक/चकों पर ठेके की अवधि के दौरान कार्य करने के लिए निम्नलिखित मशिनरी उपलब्ध रहेगी—

मशिनरी:—

(क)

क्र.स.	ट्रैक्टर का नाम	संख्या	60 HP से कम	60 HP से 90 HP	90 HP से ज्यादा
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

(ख)

क्र.स.	इम्प्लीमेंट का नाम	संख्या	विवरण
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

(ग)

क्र.स.	अन्य	संख्या	विवरण
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

दिनांक:—

निविदादाता का नाम व हस्ताक्षर

CENTRALSTATEFARM,SURATGARH.

The Statement Showing Chak, Area, Water availability & There Share details.

(Area in Hect.)

Block	CHAKS	Culturable area Proposed for Out source in Hect.	No. of Tube- well at chak	Authorized Water Discharge in Cusec	Water Share details	
1	2	4	5	6	7	
1	35 STG	154.40	-	2.05	The share of the water will be based on the proportion of the total area outsource to that of the chaks cultivated area.	
	37STG	276.00	-	2.19		
	39 STG	264.40	3	2.02		
	41 STG	182.20	-	1.43		
	BRP-1	71.60	-	3.36		
	BRP-3	202.80	-	5.22		
	TOTAL	1151.40				
2	31 A PBN	203.20	3	4.19*		
	31 B PBN	256.80				
	RPM-1	311.50	8**	2.55		
	TOTAL	771.50				
3	3 SGM	130.00	-	2.71		
	4 SGM	242.00	2	2.21		
	5 SGM	316.00	1	2.37		
	TOTAL	688.00				
G. TOTAL		2610.90				

*= चक 31 A PBN & 31 B PBN के सामने दर्शाये गया नहरी पानी दोनो चकों के लिए उपलब्ध रहेगा। नहरी पानी की उपलब्धता का समय/बैटवारा चक के क्षेत्र के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।

**= चक RPM-1 पर कुल उपलब्ध ट्यूबवैल की संख्या 8 है जिसमें से 4 चालू स्थिति में है व 4 खराब है।

Note:- चको पर उपलब्ध पानी का विवरण, नहर के पानी की उपलब्धता के अनुसार परिवर्तित हो सकता है। आउटसोर्स के लिये कॉलम संख्या-4 अनुसार एरिया निर्धारित रहेगा, जिसमें चकवार उत्पादन लक्ष्य को annexure 5 में देखा जा सकता है।

Detail of Square wise Area of Chak BRP-1

S.No.	Block No.	Chak No.	Square No.	Culturable Area in hect
1	I	BRP-I	7E/345	0.80
2	I	BRP-I	8E/345	5.60
3	I	BRP-I	8E/346	5.60
4	I	BRP-I	7E/346	5.60
5	I	BRP-I	7E/347	5.60
6	I	BRP-I	8E/347	5.60
7	I	BRP-I	8E/348	5.20
8	I	BRP-I	7E/348	5.60
9	I	BRP-I	7E/349	5.60
10	I	BRP-I	8E/349	5.20
11	I	BRP-I	8E/350	5.20
12	I	BRP-I	7E/350	5.60
13	I	BRP-I	7E/351	5.60
14	I	BRP-I	8E/351	4.80
			Total	71.60

Detail of Square wise Area of Chak 3 SGM

Sr. No.	Chak	Sq No.	Culturable Area in Hect
1	3 SGM	43/361	0.00
2	3 SGM	44/361	0.00
3	3 SGM	44/362	0.00
4	3 SGM	44/363	4.00
5	3 SGM	45/363	4.40
6	3 SGM	46/363	4.40
7	3 SGM	47/363	4.40
8	3 SGM	48/361	5.20
9	3 SGM	48/362	5.20
10	3 SGM	48/363	4.40
11	3 SGM	48/364	5.20
12	3 SGM	48/365	5.60
13	3 SGM	48/366	5.60
14	3 SGM	48/367	5.20
15	3 SGM	49/361	5.60
16	3 SGM	49/362	5.20
17	3 SGM	49/363	4.00
18	3 SGM	49/364	5.60
19	3 SGM	49/365	6.00
20	3 SGM	49/366	6.00
21	3 SGM	49/367	5.60
22	3 SGM	50/361	5.60
23	3 SGM	50/362	5.20
24	3 SGM	50/363	4.00
25	3 SGM	50/364	5.60
26	3 SGM	50/365	6.00
27	3 SGM	50/366	6.00
28	3 SGM	50/367	6.00
		Total	130.00

**1-Chakwise, Crop Wise Tentative Sowing Targets for Kharif and Rabi Season
(Area in Hect.)**

S.No.	Chak Number	Kharif crop			Rabi Crops			
		Paddy	Moong	Guar	Mustard	Gram	Wheat	Barley
1	35 STG	33	22	10	30	60	52	12
2	37 STG	22	22	12	60	125	60	30
3	39 STG	40	22	12	80	100	60	24
4	41 STG	40	22	12	30	80	50	22
5	BRP-1	0	12	12	26	10	35	0
6	BRP-3	33	12	12	30	90	60	22
7	31 A PBN	15	28	12	60	65	58	20
8	31 B PBN	10	28	12	80	98	48	30
9	RPM-1	33	22	12	90	120	60	40
10	3 SGM	0	33	22	40	45	30	15
11	4 SGM	12	40	36	70	80	50	40
12	5 SGM	18	48	40	90	118	60	48

नोट— उपरोक्त दिये गये क्षेत्र में मुख्यालय से आवंटित बीजोत्पादन कार्यक्रम के अनुसार व उपलब्ध संसाधनों का अवलोकन कर फार्म द्वारा बदलाव किया जा सकता है

2- CHAKWISE,CROPWISE PER QUINTAL / PER HECTARE PRODUCTION TARGETS

S.No.	Chak Number	Kharif crop			Rabi Crops			
		Paddy	Moong	Guar	Mustard	Gram	Wheat	Barley
1	35 STG	39.89	3.25	6.23	13.69	14.84	39.4	25.91
2	37 STG	34.2	4.45	6.23	10.51	9.61	34.46	34.56
3	39 STG	40.03	7.51	6.23	10.49	11.08	34.89	32.6
4	41 STG	40.53	4.21	6.23	13.23	13.21	36.58	34.04
5	BRP-1	39.91	5.45	6.23	17.76	7.80	49.00	37.39
6	BRP-3	43.46	9.37	6.23	16.32	15.08	38.45	25.91
7	31 A PBN	24.92	4.15	4.81	14.57	11.89	34.59	23.64
8	31B PBN	33.91	3.35	6.23	11.35	5.50	39.98	19.25
9	RPM-1	45.58	2.1	2.88	11.89	8.95	27.65	32.11
10	3 SGM	-	2.58	7.73	16.19	8.54	32.83	27.09
11	4 SGM	33.91	7.13	9.14	12.87	11.05	38.74	27.41
12	5 SGM	33.91	9.14	8.09	16.22	10.59	44.58	34.93

नोट— यदि भविष्य में उक्त चको पर दी गई फसलों के अलावा किसी अन्य फसल की बिजाई की जाती है तो उस फसल के उत्पादन लक्ष्य मुख्यालय द्वारा आवंटित लक्ष्यों अनुसार रहेंगे।

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़

समस्त शस्य क्रियाओं व प्रयोग में लाये जाने वाले सभी आदानों की एवज में हिस्सा आधारित उत्पादन पद्धति के लिए नियम व शर्तें ।

1. निविदा में भाग लेने के लिए निविदादाता को धरोहर राशि रुपये-1000/- प्रति हेक्टेयर मात्र, ऑनलाइन माध्यम से ई- निविदा की साइट पर जमा करवानी होगी। असफल निविदादाता की EMD वापस की जायेगी व सफल निविदादाता को फार्म से कार्य आदेश जारी होने के 15 दिन के अंदर सुरक्षा धनराशि **2000** रुपये प्रति हेक्टर के हिसाब से या बैंक गारंटी के माध्यम से फार्म SBI Bank के खाता संख्या 34056542572, IFSC Code- SBIN0007774 में जमा कराना होगा। बैंक गारंटी कार्य आदेश जारी होने से कम से कम ढाई वर्ष आगे तक मान्य होनी चाहिए। जिसे आवश्यकता पड़ने पर आगे बढ़वाया जा सकता है। सफल निविदादाता की बयाना राशि (ईएमडी), सुरक्षा निधि जमा करने पर वापस कर दी जाएगी. या उसके लिखित अनुरोध के बाद सुरक्षा जमा राशि में समायोजित की जा सकती है यदि सफल निविदादाता 15 दिनों के अंदर शेष सुरक्षा राशि जमा नहीं करते हैं तो जमा की गई EMD जब्त कर ली जाएगी। कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा होने पर सुरक्षा राशि, बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी। निविदादाता को पैन कार्ड, आधार कार्ड, स्थायी पता और बैंक खाते का विवरण देना होगा।
2. अगर किसी निविदादाता की आउटसोर्सिंग के समय में और उसके उपरान्त देय भुगतान के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसकी देय राशि का भुगतान उसके द्वारा नामित व्यक्ति को किया जाएगा जिसको निविदादाता के द्वारा टेंडर भरते समय नामित करना होगा। नामित करने हेतु निविदादाता को 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर संबंधित व्यक्ति को नामित करते हुए इसके साथ उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि जमा करने होंगे तथा इस पर नामित व्यक्ति के हस्ताक्षर को निविदादाता के द्वारा प्रमाणित करना होगा।
3. निविदादाता टेंडर बॉक्स में निविदा डालने के बाद यदि निविदा वापिस लेना चाहता है तो वह निविदा देने के निर्धारित समय से पहले निविदा वापसी का प्रार्थना पत्र दे कर निविदा वापिस ले सकता है परन्तु निर्धारित समय के बाद निविदा वापिस लेने का अधिकार नहीं होगा। निविदा में उच्चतम दर (फार्म का हिस्सा) देने वाले सफल निविदादाता द्वारा किसी भी कारण से कार्य न करने की अवस्था में जमा अमानत राशि EMD वापिस नहीं की जाएगी।
4. खेती में इस्तेमाल होने वाले आवश्यक सभी इनपुट जैसे उर्वरक, कृषि रसायन (कीट एवं बीमारी रसायन) स्वयं ठेकेदार के होंगे और ऐसे उर्वरक व कृषि रसायन जिनसे जमीन कीक्षारियता व लवणीयता के कारण उत्पादकता प्रभावित हो उनका प्रयोग करने से पूर्व फार्म से स्वीकृति लेनी होगी। उर्वरक में नैनो यूरिया का फसल में छिड़काव के रूप में उपयोग कर सकता है। बीज फार्म द्वारा भुगतान पर (NSC गोवर प्रोग्राम के अनुरूप) उपलब्ध कराया जायेगा। जिसका भुगतान

निविदादाता द्वारा बीज खरीद के समय पर ही 50 प्रतिशत किया जाएगा तथा बकाया 50 प्रतिशत बीज राशि की कटौती 70 प्रतिशत देय अग्रिम भुगतान राशि में से समायोजित की जाएगी। किसान को दिये जाने वाले बीज (Planting Material) की दर Grower Programme में दी गई पॉलिसी के अनुरूप की जाएगी। जिसके लिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की दरों को आधार माना जाएगा, यदि क्षेत्रीय कार्यालय पर उस प्रजाति या फसल का उत्पादन नहीं है तब फार्म समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा। पानी नहर की उपलब्धतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा। गेहूं की फसल में प्रोपोकोनाजोल (फंगीसाइड फफूंदनाशक) दवा का छिड़काव, करनाल बंट नामक बीमारी के नियंत्रण के लिये करना अनिवार्य होगा। यदि ठेकेदार इस दवा का प्रबंध नहीं कर सकता तो फार्म अपने स्तर पर छिड़काव कराएगा तथा इसको करवाने पर दवा, साधन व अन्य किसी भी मद में फार्म खर्च राशि की कटौती निविदादाता के 70 प्रतिशत अग्रिम भुगतान राशि में समायोजित की जाएगी। कार्यों हेतु उपयोग में लायी जाने वाली मशीनरी व उपकरण की लिस्ट निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ देनी होगी।

5. खेती से सम्बंधित समस्त कार्य जैसे जमीन की तैयारी, फसल बुवाई-उर्वरक का इस्तेमाल, पलेवा, सिंचाई, कृषि रसायन का इस्तेमाल, सिंचाई नालियों की साफ सफाई, फसल निराई गुड़ाई, रोगिंग, फसल की रखवाली, काटाई/गहाई, साफ उत्पादन को खलिहान पर पहुंचा कर उतारने आदि में इस्तेमाल सभी श्रमिक व यांत्रिक आपरेशन निविदादाता को करने होंगे। इन सभी कार्यों में होने वाले खर्च के एवज में फसल उत्पादन (साफ व गुणवत्ता युक्त उत्पादन) के हिस्से की धनराशि प्रतिपूर्ति की जायेगी। फार्म के हिस्से का निर्धारण टेंडर के माध्यम से दो वर्ष (2026-27 व 2027-28) के लिये खरीफ 2026 रबी 2026-27, व जायद 2027 एवम खरीफ 2027 रबी 2027-28, व जायद 2028 के लिये निर्धारित फसलों के उत्पादन में से किसान के न्यूनतम हिस्से के आधार पर किया जायेगा जो (2+1) वर्ष के लिये मान्य रहेगा। निविदादाता को उसके देय हिस्से का मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य के अनुसार 70 प्रतिशत आग्रिम भुगतान के रूप में फसल उत्पाद के खलिहान पर प्राप्ति होने पर किया जायेगा तथा शेष 30 प्रतिशत राशि का भुगतान उत्पाद में से रिकवरी प्राप्त होने व फसल उत्पाद की दर निश्चित होने के पश्चात किया जाएगा। यदि किसी फसल का समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में राजस्थान फार्मों के लिये श्रीगंगानगर (मूंगफली व मोठ के लिए बीकानेर मण्डी) मण्डी के आवक पिरियड के एक माह के अधिकतम न्यूनतम दर के औसत के आधार पर भुगतान किया जायेगा। जिसका समय इस प्रकार होगा :- धान 16 अक्टूबर से 15 नवम्बर तक, उड़द, मूंग, मोठ व मूंगफली 1 नवम्बर से 30 नवम्बर व ग्वार 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, सरसों व चना 16 अप्रैल से 15 मई, गेहूं व जौ 16 मई से 15 जून होगा। जई या अन्य किसी फसल का समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा निश्चित नहीं होता है और स्थानीय मंडी में भी आवक नहीं होने पर, संस्था की खरीद नीति के अनुसार फार्म प्रमुख द्वारा गठित समिति के द्वारा स्थानीय मंडी, मार्केट, किसानों, ट्रेडर्स, प्रोसेसर जो बीज से संबंधित लेने-देने करते हैं से संपर्क कर खरीद दर निर्धारित की जायेगी।

- क. यदि भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसी प्रकार का बोनस दिया जाता है तो उसे प्रतिपूर्ति होने वाली राशि में जोड़ा जाएगा।

- ख. किसी अन्य फसल की उपज (निविदाकर्ता का हिस्सा) जिसके लिए भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किया है, उसे संबंधित फसल के नजदीकी कृषि उत्पाद विपणन मंडी में औसतन मूल्य पर लिया जाएगा। 30 दिनों के लिए अधिकतम उपज के आगमन अवधि के दौरान संबंधित फसल की अधिकतम और न्यूनतम दर का औसतन दर निर्धारित की जाएगी। फसल अधिकतम उपज के आगमन अवधि पर विचार निगम की न्यूनतम खरीद नीति के अनुसार होगा।
- ग. जूट एवं सब्जी फसलों के रा सीड (निविदाकर्ता का हिस्सा) क्षेत्रीय कार्यालय, सिंदराबाद के प्रोक्यूरमेंट प्राइस से 20 प्रतिशत कम दर पर खरीदे जायेंगे। यदि किसी भी फसल का प्रोक्यूरमेंट प्राइस क्षेत्रीय कार्यालय, सिंदराबाद में उपलब्ध नहीं है, तब खरीद मूल्य निगम की निर्धारित प्रोक्यूरमेंट प्राइस के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। किसानों को अग्रिम भुगतान निगम की खरीद नीति के अनुसार जारी किया जाएगा।
- घ. यदि बीज फसल परिपक्वता के समय अथवा पूर्व कटाई के समय बारिश अथवा मौसम की अनियमितता से बीज की खेती प्रभावित होती है और रा सीड क्षतिग्रस्त/ फीके रंग के/ खराब हो जाते हैं, तब ऐसी परिस्थितियों में, निविदाकर्ता के हिस्से के उपज को फार्म ग्रहण नहीं करेगा और कुल उपज में से फार्म के हिस्से की उपज रखने के पश्चात इसे वापस कर देगा। इस प्रकार निविदाकर्ता के खाते में किसी प्रकार के प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।
- ड. खलिहान पर राँ सीड के भौतिक, दोष की सीमा जैसे क्षतिग्रस्त/ विचलित/ खराब/ फीका/ कीटग्रस्त/ सूखा अनाज/ मिट्टी के कण इत्यादि अधिक पाए जाते हैं अर्थात् 15 प्रतिशत से अधिक पाए जाते हैं तब ऐसे लाट की सफाई (निविदाकर्ता द्वारा) स्वयं के खर्च पर करनी होगी और राँ सीड गैर-बीज की मात्रा 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार प्राप्त होने वाला गैर-बीज यदि कोई, तो क्रमशः फार्म के हिस्से को रखने के पश्चात संबंधित पार्टी को वापस कर दिया जाएगा।
- च. निविदादाता द्वारा खलिहान पर पहुंचाए कम्बाइन मिक्सचर तथा रोगिंग मैटरियल की मात्रा में से निविदादाता द्वारा फार्म के लिए कोट की गई मात्रा को रख कर शेष मात्रा को निविदादाता को वापस कर दिया जाएगा।
- छ. फार्म द्वारा Raw seed का Intake करते समय यह सावधानी रखनी पड़ेगी कि Raw seed की Quality सही हो एवं कचरा मिट्टी, चूरी, खरपतवार बीजों आदि से पूर्ण तरह मुक्त हो ताकि Seed Recovery निश्चित सीमा से अधिक आए व Processing Loss भी कम से कम रहे। हिस्सा आधारित पद्धति से उत्पादित किसानों से प्राप्त Raw seed की फसलवार न्यूनतम तय की गई Seed Recovery Percentage

क्रम सं०	फसल का नाम	न्यूनतम Seed Recovery %
<u>खरीफ़ फसल</u>		
1	बाजरा, धान	80%
2	मूंग, मोठ, उर्द, गवार, अरहर	78%
3	मूंगफली, तिल	75%
<u>रबी फसल</u>		
1	गेहूँ, जौ	80%
2	चना, सरसों, तोरिया, अलसी	78%
3	जई	75%

यदि Seed Recovery निश्चित न्यूनतम सीमा से कम आती है तब ऐसी स्थिति में फार्म द्वारा गठित समिति इसका आंकलन करेगी तथा फार्म हित को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कटौती करने का निर्णय लेगी जिसकी गणना निम्नानुसार की जाएगी

Rate to be fixed if recovery received less than crop wise percentage fixed

$\frac{\text{Actual seed recovery} \times \text{Rate/P.Q.}}{\text{Crop wise seed recovery percentage fixed}}$

Crop wise seed recovery percentage fixed

6. कृषि प्रक्रिया का निर्धारण, फसल व प्रजाति का चयन आवश्यकतानुसार फार्म द्वारा बिजाई के पूर्व किया जायेगा ।
7. यदि किसी कारणवश फार्म सफल निविदाता को आधारीय / प्रमाणिक बीज उत्पादन कार्यक्रम का वितरण नहीं कर पता है तो ऐसी स्थिति में व्यवसायिक फसलों का कार्यक्रम आवंटन सफल निविदादाता को किया जाएगा, व्यवसायिक फसलों उत्पाद का फार्म हिस्सा ही रखा जाएगा और निविदादाता का हिस्सा उनको ले जाना होगा उसका भुगतान फार्म द्वारा नहीं किया जाएगा ।
8. निविदादाता द्वारा सम्बंधित चक के सभी कार्य खेत की तैयारी से लेकर प्राप्त उत्पादन को खलिहान पर पहुँचा कर उतारने तक का कार्यसम्बंधित चक इंचार्ज खण्ड प्रभारी व फार्म अधिकारियों के निर्देशानुसार निर्धारित समयावधि व मापदण्डों के अनुसार करना होगा। सफल निविदादाता यदि कोई भूमि सुधार (जैसे भूमि समतल आदि करना) का कार्य करता है तो उस खर्च को ठेकेदार स्वयं वहन करेगा ।
9. निविदादाता को सिंचाई हेतु पानी दिन रात नहर में पानी की सप्लाई में उपलब्ध पानी पर आधारित रहेगा। यदि पानी की कमी होती है तो निविदादाता स्वयं यदि कोई व्यवस्था करता है वह व्यवस्था करने को स्वतंत्र होगा तथा उसका खर्च भी सफल निविदाता को ही वहन करना होगा। यदि निविदाता फार्म चक पर ट्यूबवैल लगाता है तो कार्य पूरा होने पर फार्म प्रशासन व निविदाता की सहमति से निर्णय होगा कि ट्यूबवैल फार्म पर रखने हैं या निविदाता उखाड़ कर ले जायेगा। ट्यूबवैल व अन्य मशीन चलाने के लिये बिजली का कनेक्शन लेने के लिये फार्म की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
10. बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी, रोगिंग आदि निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निविदाता को चक प्रभारी खण्ड प्रभारी के दिशा निर्देशों के अनुसार करने होंगे। बीज प्रमाणीकरण से संबंधित बीज प्रमाणीकरण संस्था को देय फीस पहली बार फार्म द्वारा वहन की जायेगी। यदि सही तरीके से रोगिंग न करने के कारण पुनः निरीक्षण किया जाता है तो उसकी फीस निविदाता को भरनी होगी। यदि कोई क्षेत्र बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा फेल होता है तो उससे प्राप्त फसल उत्पाद में से फार्म का हिस्सा रख कर किसान का हिस्सा किसान को वापिस कर दिया जाएगा।
11. विभिन्न प्रकार के कार्यों के दौरान किसी भी प्रकार की जन धन की हानि एवं दुर्घटना की वैधानिक व सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदाता द्वारा लगाये गये श्रमिकों को देय मजदूरी ईपीएफ,टीडीएस,दुर्घटना मुआवजा तथा समस्त वैधानिक देनदारी का दायित्व निविदाता का होगा। यदि फार्म को किसी मामले में निविदाता की ओर से उस दायित्व निर्वाह में कोई भुगतान करना

- पडा तो फार्म मय हर्जे, खर्चे को निविदाता को देय राशि से काटने अथवा समायोजित करने को स्वतंत्र होगा ।
12. कटाई, थ्रेसिंग के बाद प्राप्त होने वाला सम्पूर्ण साफ उत्पाद को सुखाकर बोरी भर कर व सिलाई करके मानक के अनुसार निर्धारित नमी पर राँ बीज फार्म को देना होगा। उसके उपरांत पल्लेदारी का कार्य फार्म द्वारा कराया जायेगा तथा वारदाना फार्म द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। मौसम खराब होने की दशा में यदि अधिक नमी पर बिना साफ किया उत्पाद गोदाम में लगाना पडा तो फार्म द्वारा निर्धारित कमेटी द्वारा नमी का आंकलन करने के बाद निर्धारित आवश्यक कटौती की जायेगी ।
 13. उत्पादन को भण्डारण के समय फार्म द्वारा निर्धारित मानक नमी पर राँ बीज स्टोर में लिया जायेगा।
 14. संबंधित क्षेत्र में स्थित समस्त चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा की जिम्मेवारी निविदाता की होगी, वह इस बाबत एक हल्फनामा (Undertaking) देगा व यथास्थिति में कार्य पूर्ण होने पर इन्हें वापस फार्म को सम्भलवायेगा। फार्म की उक्त चल अचल सम्पत्ति का निविदाता व्यवसायिक उपयोग नहीं करेगा। तथा कोई स्थाई निर्माण कार्य नहीं करेगा। फार्म से संबंधित क्षेत्र की संपत्तियों में किसी प्रकार के नुकसान, चोरी आदि की भरपाई निविदाता से वसूली जायेगी।
 15. संबंधित प्रक्षेत्र पर पशुधन एवं अन्य क्रियाओं की अनुमति नहीं होगी।
 16. संबंधित प्रक्षेत्र पर कौन सी फसल व किस्म कितने प्रक्षेत्र में ली जानी है उसका निर्धारण फार्म प्रबंधन द्वारा किया जायेगा। तथा फसल का क्षेत्र, बुवाई का समय मौसम की अनुकूलता व प्रतिकूलता एवं सिंचाई पानी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए फार्म प्रबंधन द्वारा घटाया व बढ़ाया जा सकता है।
 17. निविदा में दिये गये एरिया को कम व ज्यादा करने एवं निविदा स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार फार्म निदेशक को होगा।
 18. फसल कटाई के उपरांत पशु भेड बकरी चराई से जो आय प्राप्त होगी वह फार्म की होगी।
 19. फार्म से कृषि उपकरण देने या न देने का निर्णय फार्म का होगा यदि फार्म का कृषि उपकरण मशीनरी उपयोग में आई तो उसका निर्धारित किराया फार्म में जमा कराना होगा।
 20. हिसार फार्म पर गेहूं फसल के अलावा व राजस्थान के फार्मों पर सभी फसलों का नीरा गूणा (भूसा व तूड़ी) निविदाता का होगा जिसका निस्तारण गह्राई के 15 दिवस के अन्दर वह स्वयं करेगा।
 21. फसल कटाई, गह्राई आदि का कार्य निर्धारित समय सीमा एवं फार्म प्रतिनिधि की उपस्थिति में करना होगा।
 22. प्रत्येक फसल के प्रति हेक्टर न्यूनतम उत्पादन का लक्ष्य उस चक पर प्राप्त गतपाँच वर्षों में से अधिकतम तीन वर्षों की फसलवार प्रति हेक्टर उपज के आधार परभारित लक्ष्य (Weighted Yield Target) से निर्धारित किया जायेगा। यदि प्रस्तावित चक/एरिया पर किसी फसल की पिछले 5 वर्षों में किन्ही कारणों से उत्पादकता अपेक्षा से कम रही है या उस फसल का उत्पादन इन 5 वर्षों में इस चक पर नहीं लिया गया है तब ऐसी स्थिति में फार्म अपने स्तर पर इस चक पर उस विशेष फसल की उत्पादकता का लक्ष्य निगम के हित को ध्यान में रखते हुए निश्चित करेगा।
 23. यदि सामान्य परिस्थितियों में उत्पादन, निविदा में दिए गए न्यूनतम उत्पादन लक्ष्य से कम आता है तो निविदादाता एनएससी के उत्पादन लक्ष्य में कमी की भरपाई करेगा। यदि विशेष प्राकृतिक

आपदा / परिस्थितियाँ जिसका पूर्वानुमान नियंत्रण / निदान संभव नहीं है जैसे (युद्ध, बाढ़, भूकंप, तूफान, ओला, पाला, तालाबन्धी, नागरिक दंगे, हड़ताल, हंगामा, सूखा पड़ना, महामारी इत्यादि) की वजह से किसी प्रकार का फसलों में नुकसान होता है उसकी लिखित सूचना निविदादाता द्वारा फार्म प्रसाशन को 10 दिन के अंदर देनी होगी । फार्म के द्वारा इस प्रकार के नुकसान के आंकलन हेतु गठित कमेटी द्वारा निरीक्षण कर रिपोर्ट दी जाएगी, जो कि दोनों पक्षों को मान्य होगी । प्राकृतिक आपदा की वजह से प्रति हेक्टर कम उत्पादन प्राप्त होने पर लक्ष्य का पुनः निर्धारण (Revised Target) हेतु निम्न फार्मूला उपयोग में लाया जाएगा। जिसमें प्रभावित सभी आउटसोर्स चकों की प्राप्त हुई भारित वास्तविक उपज का दिये गए भारित उत्पादन लक्ष्य प्रति हेक्टरके आधार पर करना है :-

$$\frac{\text{Cropwise weighted Actual Avg. Yield of all affected Outsourcing chak's of Concerned Block or weighted Avg. Yield cultivated by farm of Concerned Block (whichever is higher)}}{\text{Cropwise Target of weighted Avg. Yld. Of all affected Outsourcing chak's of Concerned Block}} \times \text{Cropwise targeted Avg. Yld. of Chak}$$

जि

- जिस चक पर प्राकृतिक आपदा के पश्चात भी प्रति हेक्टर न्यूनतम उत्पादन का लक्ष्य के बराबर या अधिक प्राप्त होता है, ऐसे चक को इस फार्मूला में सम्मिलित नहीं किया जाएगा । यदि किसी एक ही चक पर अन्य चकों की अपेक्षा ज्यादा बार प्राकृतिक आपदा के कारण फसल उत्पादन प्रभावित होता है तो इस प्रकार नुकसान का आंकलन फार्म की गठित समिति द्वारा करने के पश्चात प्रति हेक्टर उत्पादन लक्ष्य पुनः निर्धारण (Revised Target) किया जाएगा, जो कि दोनों पक्षों को मान्य होगा ।
24. निविदाता को उर्वरक का उपयोग मृदा परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर करना होगा तथा बायोफर्टीलाइजर भी अधिकतर क्षेत्र में प्रयोग करना होगा।
 25. निविदाता द्वारा कीट व बीमारी प्रबंधन के लिये अधिकतर क्षेत्र में आई.पी.एम. प्रक्रिया अपनानी होगी ।
 26. फसल उत्पादन में होने वाले नुकसान व चोरी आदि की जिम्मेदारी निविदाता की होगी।
 27. यदि किसी चक में भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र/थेडी है तो निविदाता द्वारा उक्त क्षेत्र से कोई छेड़छाड़ नहीं की जायेगी तथा कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की खनन गतिविधि नहीं की जायेगी।
 28. निविदाता को कार्य के किसी भी क्षेत्र को सबलैट करने का अधिकार नहीं होगा।
 29. हिस्सा आधारित खेती में आउटसोर्सिंग का कार्य (दो) वर्ष (खरीफ-रबी व ग्रीष्म) के लिए होगा. प्रथम वर्ष में प्राप्त उत्पादन लक्ष्य की पुन समीक्षा, फार्म द्वारा की जायेगी। यदि कृषि कार्यों के समय किसान की ओर से लापरवाही देखी जाती है तो फार्म, समय-समय पर किसानों के पंजीकृत पते पर या ईमेल द्वारा विधिवत पावती के साथ लिखित नोटिस भेजेगा। यदि कोई प्राकृतिक या भौतिक बाधा न होने के बावजूद उत्पादन संतोषजनक नहीं है तो एनएससी के विवेक पर अनुबंध रद्द किया जा सकता है।

यदि हिस्सा आधारित किसान का फसल उत्पादन दो वर्षों में संतोषजनक रहता है, उस स्थिति में फार्म समिति की अनुशंसा के आधार पर फार्म प्रमुख, सीएमडी की स्वीकृति के उपरांत हिस्सा

आधारित कार्य को अगले एक वर्ष के लिए (समान नियम और शर्तों पर) आपसी सहमति से बढ़ा सकता है।

30. यदि निविदाकर्ता द्वारा निर्धारित कार्य उचित समय पर नहीं किया जाता है, तब फार्म निविदाकर्ता के जोखिम एवं लागत पर निर्धारित कार्य संचालन का अधिकार होगा और निविदाकर्ता को प्रतिपूर्ति किये जाने वाली अंतिम राशि से कार्य संचालन की लागत के साथ-साथ 5 प्रतिशत प्रवेक्षण प्रभार की भी कटौती की जाएगी। यदि वह एक सीजन में इस प्रकार की गलती तीन बार दोहराता है तब बिना कोई सूचना के उसका करार समाप्त कर दिया जाएगा और उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। उसे भविष्य में निविदा में भी भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा, साथ ही उसकी धरोहर राशि भी जब्त कर दी जाएगी।
31. निविदाकर्ता को उसके द्वारा खरीदे जाने वाले 500/- ₹ के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर इन नियमों व शर्तों को करार के रूप में हस्ताक्षर करना होगा। मूल करार फार्म के पास रहेगा और उसकी प्रमाणित प्रति निविदाकर्ता को दी जायेगी।
32. नियमानुसार अंतिम भुगतान से पहले TDS सभी कर व अन्य कटौतियां काटने के बाद ही भुगतान किया जाएगा
33. नाली के पानी का स्वतंत्र प्रवाह, उसका भंडारण व वितरण का सम्पूर्ण अधिकार फार्म का होगा ।
34. समय समय पर भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों / आदेशों की निविदादाता द्वारा अनुपालना करनी होगी।
35. इस निविदा दस्तावेज के नियम व शर्तों में किसी भी प्रकार के उल्लंघन के लिए सिविल/आपराधिक कार्यवाही का सामना करने का उत्तरदायित्व निविदादाता पार्टी का होगा।
36. निविदा में दिये सीजनवार क्षेत्र में उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार फसलवार बुआई क्षेत्रफल को आवंटित करने का अधिकार फार्म का होगा, जिसके अनुरूप निविदाता को बुआई करनी होगी । दिये गए लक्ष्य के सापेक्ष में फसल/क्षेत्र का 10 प्रतिशत तक ज्यादा व कम का बदलाव फार्म प्रमुख की सहमति से किया जा सकता है।
37. सफल निविदादाता द्वारा लगाए गए सभी श्रमिकों को अपने आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी जमा करनी होगी और निविदादाता /किसान/उत्पादक लिखित रूप में यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा लगाए गए सभी श्रमिक किसी भी प्रकार की चोरी, क्षति में शामिल नहीं होंगे। कृषि संपत्तियों या किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों का सहारा नहीं लेंगे और एनएससी के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ किसी भी तरह से दुर्यवहार नहीं करेंगे।
यदि किसान या उसके द्वारा नियोजित कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि में शामिल पाया जाता है, तो फार्म प्रमुख को "सार्वजनिक परिसर (अनाधिकृत कब्जेदार की बेदखली) अधिनियम, 1971" के तहत प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग कर, अवैध गतिविधियों में संलिप्त तत्वों के फार्म के अंदर प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा सकता है।
38. यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इसे आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे । यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता

और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा । इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक इस मुद्दे को हल करने के लिए एकल मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा । विवाद के न्यायालय में जाने से पहले, दोनों पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे । मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी । न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा ।

निविदाता के हस्ताक्षर

नामित फार्म प्रतिनिधि

